आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची

एस०ए०आर पुनरीक्षण वाद सं० 28/2012

03/01/2022

सुरेश उरांव
बनाम्
हरि साह व अन्य

आदेश

एस०ए०आर० पुनरीक्षण वाद सं० 28/2012 सुरेश उरांव द्वारा दायर किया गया था। जिसमें उपायुक्त, रांची द्वारा एस.ए.आर. अपील 217R15/2002-03 में पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। आवेदकों के द्वारा मौजा बड़गाई के अंतर्गत खाता नं 60 में अवस्थित प्लॉट नं 2304, 2304 तथा 2306 में अवस्थित कुल 1.87 एकड़ भूमि के वापसी हेतु विशेष विनियमन पदाधिकारी के समक्ष दावा किया गया था जिसे खारिज कर दिया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रश्नगत् विषय को सिविल मामला मानते हुए खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थियों के द्वारा कहा गया है कि विपक्षियों के द्वारा प्रश्नगत भूमि को गलत तरीके से अनुमति प्राप्त कर क्रय किया गया है। विचारणीय है कि ऐसी अनुमति को उक्त अनुमति दिये जाने के 12 वर्ष तक ही पुनर्विचार किया जा सकता है। किंतु आवेदकों के द्वारा उसे भू0-वापसी के मामला के रूप में दायर किया गया। इस न्यायालय में 02.02.2012 को यह पुनरीक्षण वाद दायर किया गया। आवेदन दायर करने के पश्चात् एक भी तिथि को आवेदक अथवा उनके अधिवक्ता उपस्थित नही हुए; जिस कारण इस वाद को विगत 09 वर्षों से अगीकृत भी नही किया जा सका। आवेदक के पुनरीक्षण आवेदन में पुनः विपक्षियों के द्वारा किये गये कथित धोखाधड़ी का ही उल्लेख किया गया है, किंतु आवेदकों के तरफ से उक्त धोखाधड़ी के विरूद्ध कोई

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख के साथ।
	वैधानिक कार्रवाई नही की गई है। 09 वर्षों तक आवेदक न्यायालय में उपस्थित भी नही हुए है। ऐसे स्थिति में इस आवेदन पर विचार करने का कोई औचित्य नही है। अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित आयुक्त 31/1/22 आयुक्त 31/1/22	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.23 16:58:22 +05:30
Location: 192.168.1.40